डॉ. मधुकरराव वासनिक ची डब्ल्यु एस ंला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर

बी. ए. अंतिम वर्ष छठवॉ सेमिस्टर

युनिट ३ एवं ४ के पाठयक्रम के नोटय्

राजस्व (Public Finance)

भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है यहाँ पर अधिकतर कर लगाने और वसूलने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है. केंद्र सरकार को करों और गैर-कर स्रोतों से आय प्राप्त होती है जिन दोनों के कुल योग को कुल राजस्व प्राप्तियां कहा जाता है.

इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि भारत सरकार को किस कर से कितनी राशि प्राप्त होती है और इसके अलावा किन अन्य स्रोतों से सरकार को आय प्राप्त होती है साथ ही यह भी बताएँगे कि सरकार किस मद (item) पर कितना खर्च करती है.

केंद्र सरकार को निम्नलिखित स्रोतों से आय प्राप्त होती है;

1. आय कर

2. निगम कर

3. वस्तु एवं सेवा कर (अब उत्पाद कर, सेवा कर और सीमा को समाप्त कर दिया गया है लेकिन नीचे की तस्वीर में इन सभी को शामिल किया गया है क्योंकि तस्वीर का डेटा पिछले वर्ष के बजट का है)

4. उधार लिया गया धन

5. विदेशी अनुदान

6. सरकारी कंपनियों से प्राप्त लाभ

सरकार निम्न मदों पर धन खर्च करती है;

1. रक्षा व्यय

2. उधार धन पर किया गया ब्याज भुगतान

3. सब्सिडी (खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम)

4. पेंशन

5. राज्यों को दिया गया करों में हिस्सा

6. शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर किया गया खर्च

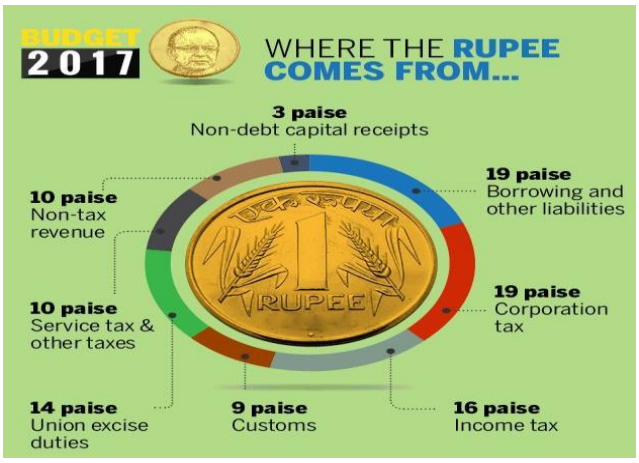

सरकार निम्न मदों पर धन खर्च करती है;

1. रक्षा व्यय

2. उधार धन पर किया गया ब्याज भुगतान

3. सब्सिडी (खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम)

4. पेंशन

5. राज्यों को दिया गया करों में हिस्सा

6. शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर किया गया खर्च

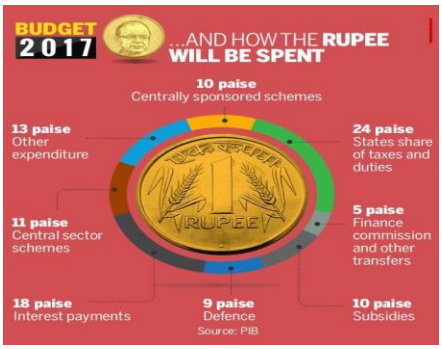

टैक्स क्यों लगाया जाता है? टैक्स के प्रकार | Tax Structure in India

TAX! इस शब्द से तो खूब परिचित होंगे आप। इसके कई उपनाम भी सुने होंगे, मसलन Income Tax , Property Tax, Wealth Tax, Sales Tax, Purchase Tax, Corporate Tax, Service Tax, और हाल में सबसे ज्यादा चर्चाओं में मौजूद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वगैरह। अगर आप इनमें से कोई Tax भरते हैं तो थोड़ा गहराई से जानने की इच्छा भी हुई होगी।

वैसे Tax बचाने की तरकीबें जानने और ज्यादा से ज्यादा अपनी बचत बढ़ाने में कुछ Basic Knowledge बहुत मददगार भी होती है। एक TaxPayer के रूप में आपकी इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमने Tax से जुडी जरूरी जानकारियों को आसान तरीके से बताने और समझाने की कोशिश की है। इसी कोशिश की पहली कड़ी मे हम भारत में मौजूद प्रमुख Taxes से आपका परिचय करा रहे हैं।

भारत में टैक्सों की श्रेणियां | Categories Of Taxes In India

भारत में Tax System दो हिस्सो में बंटा हुआ है। 1.Direct Taxes 2. Indirect taxes। दोनों का संक्षेप में परिचय इस प्रकार है।

प्रत्यक्ष कर| Direct Taxes

ये वो Tax होते हैं जो Government आपकी कमाई के हिस्से के रूप में सीधे आपसे वसूल लेती हैं। जैसे Income Tax, Propery Tax, Corporate Tax, Capital Gain Tax आदि । इन्हें प्रत्यक्ष कर यानी Direct Taxes इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, Direct उसी से वसूला भी जाता है। इन्हें भरने वाला आगे चलकर किसी और पर उसका भार Transfer नहीं कर सकता। आ र्थिक भाषा में कहें तो कराघात (Impact of Tax) और करापात Incident of Tax दोनों समान व्यक्ति पर होता है। इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स ऐसे ही टैक्स हैं।

अप्रत्यक्ष कर| Indirect Taxes

ये वो Tax होते हैं जिन्हें सरकार आपसे अप्रत्यक्ष तौर पर (Indirectly) वसूल करती है। मतलब यह कि Government ने किसी और से लिया, फिर उस देने वाले ने आगे चलकर किसी और से टैक्स की भरपाई कर ली। इनडायरेक्ट टैक्स वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में शामिल करके वसूले जाते हैं। Excise Duty, Service Tax, Intertainment Tax आदि इसी Catagory के Tax हैं। हाल ही में आया GST भी इसी Catagory का Tax है। आ र्थिक भाषा में कहें Indirect Taxes में कराघात (Impact of Tax) और करापात (Incident of Tax) दोनों अलग-अलग व्यक्ति पर होता है।

Note: Direct और Indirect टैक्सों के बीच अंतर को समझने के लिए स्थितियों को थोड़ा उलटकर देखते हैं। इनकम टैक्स, Direct Tax टैक्स है और सर्विस टैक्स, Indirect Tax है। इनकम टैक्स भी आप ही अदा करते है और स र्विस टैक्स भी आखिरकार आप की जेब से ही जाता है। Income Tax आपने कितना दिया, इसका हिसाब-किताब आपको खुद ही Government को देना पडता है।

इससे अलग Service Tax का हिसाब-किताब आप सरकार को नहीं देते। इसका हिसाब-किताब उस सर्विस देने वाले को देना पडता है,। ध्यान दीजिए, दोनों जगह पैसा आखिरकार आपका ही गया है।। Income Tax में गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई डायरेक्ट आप पर होगी। Service Tax में ग़ड़बड़ी हुई तो उसे देने वाले यानी दुकानदार पर कार्रवाई होगी। इस तरह Government और आपके बीच भुगतान की जिम्मेदारी में ये अंतर Indirect Tax को, Direct Tax से अलग करता है।

प्रमुख प्रत्यक्ष कर| Major Direct Taxes

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह लोगों की Income पर लगाया जाता है। लोग जो भी कमाते हैं, उसमें से एक तय हिस्सा सरकार उनसे Tax के रूप में ले लेती है। इसे Central Government की ओर से लगाया और वसूला जाता है, लेकिन Finance Commision की सिफारिशों के अनुसार केंद्र और State Government के बीच बांटा जाता है । भारत में, बहुत कम Income वाले लोगों को Income Tax के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा Income वालों से कुछ Percentage में और बहुत ज्यादा income वालों से ज्यादा Percentage में इनकम टैक्स लिया जाता है।

किस Level की कमाई होने पर कितना हिस्सा (Percentage में) टैक्स लिया जाएगा, इसकी घोषणा सरकार हर साल Financial Year शुरू होने से पहले Budget में Tax Slab के रूप में करती है। ये Tax Slab भी अलग-अलग श्रेणी के लोगों के लिए अलग-अलग होते हैं। जैसे Senior Citizens, Super Senior Citizens, Companies, Firms, Organisations आदि के लिए अलग-अलग Tax Slab Rates होते हैं।

Tax Slab Rates के बारे में विस्तार से जानकारी हमने अलग Article में दी है। पढ़ें: इनकम टैक्स स्लैब। यहां पर थोड़ा विवरण परिचय के रूप में वर्ष 2017-18 का एक टैक्स स्लैब दे रहे हैं जो सिर्फ सामान्य व्यक्तियों के लिए है।

Income Tax Slab Rate (2017-18) for Individual Below 60)

Income Tax Slab (वार्षिक आय पर आधारित)	**Tax Rate**	**Brief Explanation Of Tax Liablity|टैक्स देनदारी की संक्षिप्त व्याख्या**
2.5 लाख रुपए से कम Income पर	Nil	आपकी Income के 2.5 लाख रुपए तक के हिस्से पर कोई Tax नहीं बनेगा
Income के 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के हिस्से पर	5%	कुल टैक्स योग्य Income में से 2.5 लाख निकालने के बाद ऊपर 5 लाख रुपए तक का जो भी हिस्सा बचा, उस का 5 प्रतिशत
Income के 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के हिस्से पर	20%	कुल टैक्स योग्य Income में से 5 लाख रुपए निकालने के बाद 10 लाख रुपए तक का जो भी हिस्सा बचा, उस का 20 प्रतिशत
Income के 10 लाख रुपए से उपर बढे हुुए हिस्से पर	30%	कुल टैक्स योग्य Income में से 10 लाख रुपए निकालने के बाद ऊपर का जितनी भी हिस्सा बचा, उस का 30 प्रतिशत
		Total Tax: हर टैक्स स्लैब के सामने बन रहे टैक्स के एमांउटस को जोडकर टोटल टैक्स देनदारी तय हो जाएगी

Surcharge

- Income Tax का 10% (कुल Income 50 लाख से 1 करोड़ रुपए होने पर)
- Income Tax का 15% (कुल Income 1 करोड़ रुपए से से अधिक होने पर)

Educational Cess: कुल 'इनकम टैक्स+सरचार्ज 'का 3%

इनकम टैक्स में शामिल Income Sources: इनकम टैक्स की गणना करते वक्त निम्नलिखित Sources से हुई आय को आपकी कुल Income में शामिल किया जाता है।

प्रमुख अप्रत्यक्ष कर| Major Indirect Taxes

GST यानी माल एवं सेवा कर देश भर में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। इसे इसके पहले केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लागू तीन दर्जन से ज्यादा Indirect Taxes को हटाकर लागू किया गया है। मतलब यह कि वस्तुओं और सेवाओं पर अब पहले लगने वाले ढेरों Taxes की बजाय अब अकेला GST टैक्स लगना है। GST में जो टैक्स मिलाए गए हैं, उनमें से प्रमुख Taxes के नाम हम नीचे सारणी में दे रहे हैं।

Central Taxes Those Replaced By GST
केंद्र के वो टैक्स जिनकी जगह जीएसटी लेगा

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क Central Excise Duty
- Duties of Excise (Medical and Toilet Preparations)
- विशेष महत्व वाली वस्तुओं पर अतिरिक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क Additional Duties of Excise

State Taxes those Replaced By GST
राज्यों के वो टैक्स जिनकी जगह जीएसटी लेगा

- प्रादेशिक कर State VAT
- केंद्रीय विक्री कर Central Sales Tax
- क्रय कर Purchase Tax
- विलासिता कर Luxury Tax
- प्रवेश कर Entry Tax (all forms)

- वस्त्र एवं वस्त्र उत्पादो पर अतिरिक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क Additional Duties of Excise (Textiles and textile products)
- कस्टम शुल्क Duties of Customs (CVD)
- Special Additional Duty of Customs (SAD)
- सर्विस टैक्स उपकर एवं अधिभार Service Tax Cesses and surcharges
- मनोरंजन कर Entertainment Tax (स्थानीय निकाय से अलग)
- विज्ञापन कर Taxes On Advertisements
- लॉटरी, सट्टा, जुएं आदि पर टैक्स Taxes on lotteries, Betting and Gambling
- प्रादेशिक उपकर एवं अधिभार State cesses and surcharges

तीन प्रकार के जीएसटी| Three Forms Of GST

कहने को तो जीएसटी एक टैक्स है, लेकिन इसको तीन रूपों में लगाया गया है।

1. CGST यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर| Central Goods And Services Tax
   किसी राज्य के अंदर, उसी राज्य के दो पक्षों के बीच सौदा होने पर केंद्र सरकार की ओर से CGST यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर वसूला जाएगा। Tax का यह Amount केंद्र सरकार को मिलेगा।
2. SGST यानी प्रादेशिक वस्तु एवं सेवा कर| State Goods And Services Tax
   किसी राज्य के अंदर, उसी राज्य के दो पक्षों के बीच सौदा होने पर वहां की राज्य सरकार की ओर से SGST यानी प्रादेशिक वस्तु एवं सेवा कर वसूला जाएगा। Tax का यह Amount राज्य सरकार को मिलेगा।
3. IGST यानी एकीकृत प्रादेशिक वस्तु एवं सेवा कर | Integrated Goods And Services Tax
   दो अलग-अलग राज्यों के दो पक्षों के बीच सौदा होने पर केंद्र सरकार की ओर से IGST यानी एकीकृत प्रादेशिक वस्तु एवं सेवा कर वसूला जाएगा। Tax का यह Amount आगे चलकर केंद्र और राज्य सरकार बीच बंट जाएगा।

GST की अन्य प्रमुख विशेषताएं | Main Characteristics Of GST

सामान की खरीदारी पर GST टैक्स की गणना उसकी MRP के आधार पर की जाएगी। सेवा के मामले में यह उसकी Market Value या उसके लिए चुकाई गई कीमत पर निर्भर करेगा। वस्तुओं के मामले में अगर Exchange या Discount का मामला हो तब भी MRP के आधार पर ही GST लगेगा।

उत्पादन और बिक्री के बजाय उपभोग पर टैक्स | Tax on Consumption Besides Manufactering Or Sales

GST के पहले जो Tax लगते थे, उनमें वस्तु या सेवा को बेचने वाले को अदा करने पड़ते थे। GST में इसके उल्टा Tax वस्तु और सेवा को खरीदने वाले देना पड़ता है। हालांकि इसकी वसूली की जिम्मेदारी सामान या service देने वाले की ही होती है। सौदा करते वक्त दुकानदार सामान के दाम के साथ GST को अलग से लिखकर रसीद देगा। खरीदार को दाम और GST को मिलाकर पूरा पैसा देना होगा।

जीएसटी की पांच अलग-अलग दरें| Five Different Rates Of GST

सामान्य जीवन के लिए Utility और Importance के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं पर GST की अलग—अलग दरें निर्धारित की गई हैं। ये हैं zero, 5%, 12%, 18% and 28%। अति आवश्यक वस्तुओं (जैसे कि अनाज, दूध और और ताजी सब्जियां) पर Zero प्रतिशत, आवश्यक वस्तुओं पर 5 प्रतिशत, सामान्य वस्तुओं पर 12 प्रतिशत, इसके बाद कम जरूरी और विलासी वस्तुओं (जैसे कि Air Conditioner, Refrigerator, Makeup आदि) पर 18 प्रतिशत या 28 प्रतिशत GST लगाकर इसे जनता के लिए ज्यादा उपयोगी बनाने की कोशिश की गई है।

टैक्स रेट के लिए जीएसटी काउंसिल| GST Council to Determine Rates

GST के रेट तय करने के लिए GST Council बनाई गई है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय Finance Minister होंगे और राज्यों के Finance Ministers इसके सदस्य होंगे। केंद्र के पास किसी निर्णय पर Vote देने की एक तिहाई शक्ति होगी, और दो तिहाई शक्ति राज्य सरकारों के पास होगी। किसी भी फैसले को मंजूरी मिलने के लिए उसे Council के तीन चौथाई Votes की जरूरत होगी।

टैक्स क्रेडिट सिस्टम | Tax Credit System

कोई सामान अपने निर्माण से लेकर ग्राहक के हाथों तक पहुंचने में कई Stage से होकर गुजरता है। उदाहरण के लिए उत्पादक, Whole Saler, Distributer , Retailer आदि। खरीदारी के हर स्टेज पर GST जमा किया जाना है। आखिरी बार (Consumer की अ ोर से) GST जमा होने से पहले जहां-जहां भी GST लगा है, वह Tax Credit System के रास्ते Online वापस/एडजस्ट भी हो जाएगा। इससे एक ही वस्तु या सेवा पर कई लोगों को Tax नहीं चुकाना पडेगा।

Stamp Duty, Registration Fees, Transfer Tax

अगर आप कोई अचल संपत्ति खरीदते हैं तो आपको उसकी कीमत तो उसके पुराने मालिक को देनी पड़ती है। उस कीमत का कुछ प्रतिशत आपको Stamp Duty, Registration Fees के रूप में भी देना पड़ता है। ऐसा आपके नाम प्रॉपर्टी के legal document तैयार करने के लिए किया जाता है। अलग-अलग तरह की Property पर उसके स्थान व स्वरूप के मुताबिक ये शुल्क अलग-अलग हो सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी को अगर बेचा नही गया है और ट्रांसफर के माध्यम से आपके नाम किया गया है तो भी Transfer Tax देना पड़ता है।

स्टांप डयूटी property के सहमति मूल्य या circle rate (राज्य सरकार द्वारा तय Property की न्यूनतम खरीद दर) पर लगता है। दोनों में जो भी ज्यादा होगा, उसका एक तय प्रतिशत Stamp Duty के रूप में देना पड़ता है। Stamp Duty के अलावा सौदे की रकम का 1 प्रतिशत Registration Charge के रूप मे ं भी देना पड़ता है। कुछ राज्यों में महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर कम स्टांप शुल्क लगता है।

Note: GST लागू होने के बाद भी ये शुल्क जारी रहने हैं। क्योंकि सरकार ने इन्हें GST Act में नहीं लिया है। वैसे 13 वें Finance Commission में जीएसटी पर बनाई गई टास्क फोर्स ने Stamp Duty को भी जीएसटी के तहत लाने की सिफारिश की थी, लेकिन फिलहाल इसे इससे बाहर ही रखा गया है।

मंडी शुल्क| Mandi Shulk

देश भर में 1 जुलाई 2017 से GST लगने के बाद ज्यादातर Indirect Taxes खत्म हो गए हैं, लेकिन मंडियों में के कृषि उपज की बिक्री पर लगने वाला मंडी शुल्क अब भी बरकरार है। कोई भी किसान किसी मंडी में जब अपना माल बेचने जाता है तो उस पर मंडी शुल्क लगता है। मंडी शुल्क की दरें देश के अलग-अलग राज्यों में अलग—अलग हैं। अधिकांश राज्यों में यह डेढ़ से 2 प्रतिशत है, हरियाणा-पंजाब में 4 प्रतिशत भी है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मंडी शुल्क को Tax की कैटेगरी में नहीं मानते। उनके मुताबिक मंडी शुल्क से प्राप्त होने वाली धनराशि किसी राज्य सरकार के खजाने में नहीं जाती, बल्कि इसका इस्तेमाल मंडियों के रख-रखाव, प्रबंधन और कर्मचारियों आदि के लिए किया जाता है। इस कारण इसे टैक्स नहीं माना जा सकता।

सार्वजनिक ऋण के परिभाषाएं: (Definitions of Public Debt):

सार्वजनिक ऋण का सीधा अर्थ है, सरकार पर ऋण । ऐसा ऋण जो सरकार लेती है । ये ऋण आन्तरिक (देश के भीतर से) और बाहरी (विदेशों से) दोनों हो सकता है । सार्वजनिक ऋण वह ऋण है जो सरकार द्वारा जनता, बैंक, अन्य वित्तीय या व्यावसायिक संस्थानों से लिया जाता है ।

राजाओं के जमाने से ही शासक वर्ग ऋण लेते रहे हैं। राजा अपने सेठ, साहूकारों या निगम- श्रेणियों से उधार लेते थे। लेकिन आधुनिक युग के पहले तक सरकार का ऋण लेना अच्छा नहीं माना जाता था। आधुनिक युग में तो सरकारें ऋण लेने के लिए बहुत हाथ-पैर मारती है। वस्तुत: सार्वजनिक ऋण संसाधन जुटाने का महत्वपूर्ण साधन है।

सरकार अपने व्यय की पूर्ति के लिये कराधान के अतिरिक्त हीनार्थ प्रबन्धन (घाटे का वित्त) का सहारा एक सीमा तक ही ले सकते है। अत: उसे इस ''ऋण-विकल्प'' का सहारा लेना ही पड़ता है जो आज की कल्याणकारी सरकारों की अनिवार्यता है। अमेरिका जैसा धनी देश सर्वाधिक ऋणी देश भी है।

फिण्डले शिराज के शब्दों में- "सार्वजनिक ऋण वह ऋण होता है जिसके भुगतान के लिए कोई सरकार अपने देश के नागरिकों अथवा दूसरे देश के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी रहती है।"

फिलिप ई. टेलर के अनुसार- ''ऐसा ऋण जो राजकोष द्वारा जारी वचन-पत्रों में इस आशय के साथ वर्णित होता है कि वचन-पत्रों के धारक को मूलधन तथा अधिकांश मामलों में ब्याज सहित वापिस कर दिया जावेगा, सार्वजनिक ऋण कहलाता है।''

जे.के.मेहता के अनुसार- ''सार्वजनिक ऋण वह ऋण है जिसे सरकार उन व्यक्तियों (संस्थाओं) को लौटाने के लिये बाध्य है जिनसे उसने ऋण लिया है।''

सार्वजनिक ऋण के प्रकार और स्वरूप (Type and Format of Public Debt):

सार्वजनिक ऋण का प्रकृति, स्रोत, भुगतान आदि आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जो इस प्रकार है:

1. आंतरिक और बाह्य ऋण (Internal Debt and External Debt):

सरकार द्वारा देश के भीतर आम नागरिकों, संस्थाओं से लिया जाने वाला ऋण आंतरिक ऋण कहलाता है। स्वतंत्रता के पूर्व इसे रूपया ऋण कहते थें। आंतरिक ऋण के स्रोत है- जनता, वित्तीय संस्था, बैंक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और रिजर्व बैंक।

सरकार द्वारा देश के बाहर स्थित स्रोतों से लिया गया ऋण बाहरी ऋण कहलाता हैं जिसे ब्रिटिश शासन के समय ''स्टर्लिंग ऋण'' कहा जाता था। बाहरी स्रोत है-विदेशी सरकारें, विदेशी वित्तीय संस्थायें, विदेशी व्यक्ति, विदेशी प्रतिष्ठान आदि। अनिवासी भारतीयों से रिसर्जेण्ट बांड के तहत लिया गया ऋण बाहरी ऋण ही था। आंतरिक ऋण बाहरी ऋण की तुलना में बेहतर होता है।

2. स्वैच्छिक एवं अनिवार्य ऋण (Voluntary Debt and Compulsory Debt):

यह आंतरिक ऋण के ही प्रकार है। जब सरकार जनता से जनता की इच्छा आधारित ऋण प्राप्त करती है तो इसे स्वैच्छिक ऋण कहा जाता है। जैसे इंदिरा विकास पत्र, अल्प बचत योजनाएं आदि जिसे जनता चाहे तो खरीदें या नहीं खरीदें।

इसके विपरीत सरकार जनता पर कानूनी बाध्यता डालकर ऋण ले तो उसे अनिवार्य ऋण कहते हैं। ऐसा युद्ध, आपदा जैसी असाधारण स्थिति में ही सरकार करती हैं। 1964 में केंद्र ने नागरिकों से अनिवार्य ऋण लिया था।

3. उत्पादक एवं अनुत्पादक ऋण (Productive Debt and Unproductive Debt):

उत्पादक और अनुत्पादक कार्यों में निवेश के लिये जाने वाले ऋण क्रमश: उत्पादक ऋण और अनुत्पादक ऋण कहलातें हैं। हिक्स इन्हें क्रमश: सक्रिय ऋण और निष्क्रिय भार कहते हैं। उत्पादक ऋण सरकार उन परियोजनाओं के लिए लेती है जिनसे उसको आमदनी होती है।

उदाहरण के लिए विद्युत उत्पादन परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएँ, सार्वजनिक उद्यमों तथा रेलवे के ऋण। इन परिसंपतियों से अर्जित आय का उपयोग ऋण के मूल और ब्याज दोनों की अदायगी के लिए किया जाता है।

अनुत्पादक ऋण बजट घाटा पूरा करने आपात स्थिति से निपटने, युद्ध आदि के लिये धन जुटाने आदि अनुत्पादक गतिविधियों के लिये लिया जाता है। ऋण चुकाने या व्याज चुकाने के लिये लिया गया ऋण भी अनुत्पादक होता है।

4. निधि ऋण एवं अनिधि ऋण (Funded Debt and Non Funded Debt):

यह ऋण भुगतान की अवधि आधारित होते हैं। निधि ऋण दीर्घावधि में एक वर्ष के बाद चुकाये जाते हैं जबकि अनिधि ऋण अल्पकालिक (1 वर्ष से कम अवधि में) अवधि में चुकाना होते हैं।

अत: पहले को चुकाने के लिये एक ''फंड'' (निधि) की स्थापना कर दी जाती है। जिसमें सरकार राशि डालती रहती हैं दूसरे के लिए ऐसे ''फंड'' की जरूरत नहीं होती। अत: पहले को चुकाने के लिये और ऋण नहीं लेना पड़ता लेकिन दूसरे के लिये अन्य ऋण लेने पड़ सकते हैं।

अत: अनिधि ऋण चलित ऋण (Floating Debt) भी कहलाते हैं। अनिधि ऋण के अंतर्गत विनियोग पत्र, केंद्रीय बैंक के अर्थोपाय आदि शामिल होते हैं। निधि ऋण परिसंपत्ति के निर्माण हेतु जबकि अनिधि ऋण बजट घाटे को पाटने के लिये उगाहे जाते हैं।

5. शोध्य एवं अशोध्य ऋण (Redeemable Debt and Irredeemable Debt):

वह ऋण जिसे सरकार निश्चित तिथि पर वापिस करने के वचन के साथ लेती हैं, शोध्य ऋण कहलाता है। इसे सीमांतकारी (Terminable) ऋण भी कहा जाता है। सरकार इस ऋण हेतु कभी-कभी शोधन निधि (Sinking Fund) भी स्थापित कर देती हैं। अशोध्य ऋण में वापस करने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती अपितु निश्चित समय पर ब्याज-भुगतान की ही शर्त होती है। इसे सतत (Perpetual) ऋण भी कहते हैं।

ऋण सेवा और ऋण जाल (Debt Service and Debt Trap):

ऋण पर ब्याज और ऋणों की किश्त उदायगी के लिए की जाने वाली कार्यवाही ऋण सेवा कहलाती है। ऋण जाल से आशय है ऋण चुकाने के लिये ऋण लेना।

ऋण वापसी या ऋण विमोचन (Redemption):

सरकार द्वारा अपने ऋणों को चुकाना ही ''विमोचन'' कहलाता है।

इसके निम्नलिखित तरीके हैं:

i. वापसी या भुगतान (Refunding):

इसमें सरकार अपने ऋणों की परिपक्वता पर (अर्थात् भुगतान तिथि आने पर) नये बांड या प्रतिभूतियां जात करती है। अर्थात् इन ऋणों को नये ऋणों में बदल देती है। इससे ऋण का भार तो समाप्त नहीं होता, उल्टे बार-बार ऐसा करने पर ऋण की मात्रा बढ़ती जाती है। यह ''ऋणजाल'' की स्थिति उत्पन्न कर देता है।

ii. समापनीय वार्षिकियाँ (Terminable Annuities):

इसमें ऋण भुगतान समान किश्तों के रूप में होता है। प्रतिवर्ष सरकार समापनीय वार्षिकियाँ जारी करता है जिसके द्वारा ऋण की एक किश्त वापिस की जाती है। इससे ऋण भार प्रतिवर्ष कम हो जाता है और अंतत: समाप्त हो जाता है।

iii. ऋण-परिवर्तन (Loan Conversion):

ब्याज दर कम होने पर सरकार महंगी ब्याज दरों के ऋणों को कम दर के ऋणों में बदल लेती है। इससे ऋण भार कम हो जाता है। यह अनिवार्य या स्वैच्छिक हो सकता है। डाल्टन इस परिवर्तन को ''आंशिक अस्वीकरण'' (Partial Repudiation) कहता है।

iv. शोधान निधि (Sinking Fund):

सरकार + ऋण वापसी के लिये पृथक् से एक शोधन निधि बना देती है। इस कोष में वह प्रतिवर्ष राशि जमा करती रहती है और इस कोष से ऋणों का भुगतान होता रहता है। यह व्यवस्थित लेकिन धीमी प्रक्रिया है, फिर सरकार वित्तीय संकटावस्था में इसमें राशि डालने के बजाय निकाल भी सकती हैं।

v. नया करारोपण (New Taxation):

सरकार अपने ऋणों के भुगतान के लिये नये कर लगा सकती है।

vi. पूंजीगत लेवी (Capital Levy):

सरकार जब ऋणों के भारी बोझ से दब जाती है तब वह जनता/संस्था की संपत्ति पर एकमुश्त भारी कर एक ही समय के लिये लगाकर ऋणों के बोझ को उतार फेंकती है।

vii. मुद्रा विस्तार (Currency Expansion):

इसमें ऋण भुगतान हेतु सरकार अतिरिक्त मुद्रा छापती है जैसा कि जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया था।

viii. लाभ का बजट (Budget of Profit):

लाभ के बजट में सरकार के पास लाभ शेष बचता है जिसका उपयोग ऋण भुगतान में किया जाता है।

ix. इनकार द्वारा:

सरकार अपने आंतरिक और बाहरी या दोनों को देने से इंकार कर सकती है। जैसा कि सोवियत संघ ने 1917 में किया था। हिटलर और मुसोलिनी ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व ऐसा किया था। इससे सरकार की साख समाप्त हो जाती है।

x. सकारात्मक भुगतान संतुलन (Refunding):

सरकार निर्यात बढ़ाकर तथा आयात घटाकर भुगतान संतुलन पक्ष में कर लेती है इससे प्राप्त अधिशेष का उपयोग ऋण भुगतान में कर सकती है।

सार्वजनिक ऋण भार और उसके प्रभाव (Burden of Public Debt and Its Effects):

सार्वजनिक ऋण आंतरिक हो या बाहरी, एक बोझ माना जाता है जिसके विभिन्न प्रभाव होते हैं।

i. प्रत्यक्ष ऋण भार (Direct Debt Burden):

विदेशी ऋण का ऋण-भार देश और नागरिकों पर प्रत्यक्ष आता है। ऋणी देश ऋणदाता देश को ब्याज और मूलधन लौटाता है। इससे नागरिकों की क्रय शक्ति विदेशियों को स्थानांतरित होती है। यह प्रत्यक्ष ऋण-भार ऋण की मात्रा अनुसार कम-अधिक होता है।

ii. अप्रत्यक्ष ऋण-भार (Indirect Debt Burden):

नागरिकों पर अप्रत्यक्ष ऋण-भार आंतरिक और बाह्य दोनों ऋणों से आता है। लगता यह है कि आंतरिक ऋण से समाज में मात्र संपत्ति इधर से उधर स्थानांतरित होती हैं अर्थात् सरकार के ब्याज भुगतान करने से एक हिस्से की क्रय शक्ति दूसरे हिस्से में चली जाती है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आंतरिक ऋण का भार समाज पर आता ही है।

वस्तुत: सरकार द्वारा जो विकास कार्यों पर व्यय होता है उससे वस्तुओं और सेवाओं दोनों की मांग बढ़ने से कीमतों में वृद्धि होती है। इसी प्रकार विदेशी ऋण और उस पर ब्याज भुगतान से समाज की सुख-सुविधाओं में कटौती होती है और उनकी कमी से उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है।

iii. प्रत्यक्ष वास्तविक भार (Direct Real Burden):

आंतरिक ऋण से आर्थिक विषमता बढ़ती हैं। ऋणदाता नागरिकों को ब्याज और मूलधन लौटाने से उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है जबकि जिन निर्धन कर दाताओं से कर वसूला जाता है उनकी क्रयशक्ति कम हो जाती है। कार्यशील लोगों का धन निष्क्रिय धनिकों की तरफ जाता है। विदेशी ऋण भुगतान हेतु सरकार नागरिकों पर अनेक कर लगाती हैं इससे उन पर ऋण-भार बढ़ जाता है।

iv. अप्रत्यक्ष वास्तविक भार (Indirect Real Burden):

आर्थिक असमानताएं और करों का बोझ लोगों की काम करने की क्षमता और बचत क्षमता में कमी कर देते है। इससे अंतत: उत्पादन क्षमता कम होती है। विदेशी ऋणों के भुगतान हेतु जो अतिरिक्त कर लगाये जाते है उनसे भी अप्रत्यक्ष वास्तविक भार बढ़ता है।

लैंगिक बजटिंग योजना (Gender Budgeting Plan – Government Plans)

उद्देश्य

अपेक्षित लाभार्थी

मुख्य विशेषताएं

• पुरुषों के समान महिलाओं तक विकास के लाभ की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को मुख्याधारा से जोड़ना

• महिलाएं

• एक एकीकृत दृष्टिकोण को शुरू करने और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों दव्ारा स्थापित लैंगिक बजटिंग प्रकोष्ट के मार्गदर्शन के लिए लैंगिक बजटिंग की अवधारणा, उपकरण और रणनीति का प्रसार करना।

• कार्यशालाओं का आयोजन करना, राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना और सहायता प्रदान करना

• इस योजना के तहत अनुदान में निम्न शामिल हैं:

o अनुसंधान और प्रलेखन के लिए अनुदान

o प्रशिक्षण के लिए अनुदान

o स्तत और संयुक्त अनुसंधान और प्रक्षिण गतिविधियों के लिए अनुदान

लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) -यूएनडीपी (Gender Inequality Index – UNDP – Government Plans)

सारांश

• जीआईआई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) दव्ारा सन 2010 की मानव विकास रिपोर्ट (विवरण) की 20 वीं वर्षगांठ पर प्रकाशित संस्करण में जारी किया गया।

• लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईई) लैंगिक अंतर डिसपैरटि (असमानता/अत्यधिक विभन्निता के मापन का सूचकांक है।

• जीआईआई एक संयुक्त मापक है जो लिंग असमानता की वजह से देश के भीतर हिल की जा सकने वाली उपलब्धियों की हानि को दर्शाता है।

• सूचकांक के परिकलन के लिए तीन आयामों का उपयोग किया गया है:

• महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य (मातृ मृत्यु दर +किशारियों में प्रजनन दर)

• सशक्तिकरण (महिलाओं दव्ारा अधिग्रहित संसदीय सीटों की संख्या + माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 25 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं की जनसंख्या के प्रतिशत पर आधारित)

• आर्थिक स्थिति (श्रम बल में भागीदारी)

• पिछले संकेतकों-लैंगिक विकास सूचकांक (जीडीआई) और लैंगिक सशक्तिकरण उपाय (जीईएम) की कमियों को दूर करने के लिए निर्मित

• पूरे दक्षिण एशिया में, केवल युद्ध से प्रभावित अफगानिस्तान की भारत की तुलना में खराब रैंकिंग (श्रेणी) है।

• भारत जीआईआई में 155 देशों में से 130वें स्थान पर है।

• भारत में विधायिका में महज 12.2 प्रतिशत महिला सदस्य है जबकि महिला अधिकारों के उल्लंघन के मामले में शीर्ष पर स्थित देश अफगानिस्तान में यह प्रतिशत 27.6 प्रतिशत है।

• भारत में श्रम बल में भागीदारी की दर महिलाओं के लिए महज 27 प्रतिशत है जबकि पुरुषों के लिए 79.9 प्रतिशत हैं।

देश में यह बात अब अच्छी तरह समझी जा रही है कि महिलाओं के आर्थिक विकास का देश के आर्थिक विकास से सीधा नाता है। यह बात तो काफी पहले से समझी जाती रही है कि देश के आर्थिक संकट का प्रभाव पुरुषों से ज्यादा महिलाओं पर पड़ता है। लेकिन देश के बजट का पुरुषों और महिलाओं पर किस तरह अलग-अलग असर पड़ रहा है, इसे बताने वाली जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया ज्यादा स्पष्ट और दमदार बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

लैंगिक असमानता दूर करने के लिए पूरी दुनिया में जेंडर बजटिंग को एक सशक्त माध्यम समझा जाता है। यह महिलाओं के लिए अलग बजट नहीं है। इसके जरिये सरकारी बजट को इस खांचे में फिट करके देखा जाता है कि क्या इसका लाभ पुरुषों और महिलाओं, दोनों तक पहुंच पाया। भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर आदि मानकों पर वे पीछे रह जाती हैं। संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच कमतर होने के कारण उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। प्राइमरी स्कूलों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों के ड्रॉपआउट रेट को अलग-अलग देखना होगा। अगर ड्रॉपआउट की दर में बैलेंस के लिए सरकारी बजट की ओर से कोई विशेष कोशिश होती है तो वह जेंडर बजटिंग का हिस्सा माना जाएगा।

जेंडर बजटिंग को महज बही-खाते तक सिमटाए रखने की जगह नीतियां बनाने, उन पर अमल करने और दोबारा गौर करने के दौरान इसे लगातार शामिल रखना होता है। जानकार बताते हैं कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस सिद्धांत को अच्छी तरह लागू किया जा रहा है। वहां राष्ट्रीय बजट को मीडियम टर्म बजट फ्रेमवर्क के आधार पर तैयार किया जाता है और जेंडर बजटिंग इस फ्रेमवर्क का हिस्सा है। सारे खर्चों को अलग-अलग बांट कर देखा जाता है कि इसमें कितना हिस्सा महिलाओं को फायदा पहुंचाएगा। बजट के साथ ही जेंडर बजट रिपोर्ट भी पेश की जाती है।भारत में 2001 के बजट

भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री ने जेंडर बजटिंग का जिक्र किया था। फिर मंत्रालयों की सालाना रिपोर्ट में इस मुद्दे को शामिल किया जाने लगा। जेंडर बजट के प्रकोष्ठ बने हैं। 2005-06 से वित्त मंत्रालय के बजट सर्कुलर के एक हिस्से के तौर पर जेंडर बजट पर नोट जारी किया जाने लगा। 2013 में राज्यों के लिए रोडमैप की गाइडलाइंस भी जारी की गई। 16 से ज्यादा राज्यों में इसे अपनाया गया है।

महिला अधिकारों से जुड़े लोगों का मानना है कि भारत में हर विभाग के जेंडर बजट का डेटा अब भी साफ नहीं है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने 2017-18 में 31390 करोड़ रुपये उन स्कीमों को दिए, जो महिलाओं के लिए थीं। लेकिन विरोधियों का कहना है कि इसमें से 23 हजार करोड़ रुपये तो अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए गए, जो सिर्फ महिलाओं की योजना नहीं है। यह भी शिकायत है कि जेंडर बजटिंग के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी है, लेकिन उसे इतने अधिकार नहीं दिए गए कि वह जेंडर बजटिंग को अपने असली रूप में लागू कर सके। पिछले बजट में मंत्रालय का आवंटन बढ़ा था, लेकिन इस बढ़ोतरी को कुल व्यय का महज 1 फीसदी हिस्सा आंका गया। सभी मंत्रालयों को मिलाकर जेंडर बजट 5 फीसदी होने का अनुमान है। बजट में जो टैक्स छूट दी जाती है, उसमें जेंडर के आधार पर प्राथमिकता देश में बड़ी जरूरत समझी जाती है। प्रॉपर्टी में निवेश पर लैंगिक आधार पर टैक्स छूट मिले तो इससे महिलाओं के अधिकार बढ़ेंगे।

मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) -यूएनडीपी (Human Development Index – Government Plans)

डेमिनेशन	ए लॉग एंड हेल्दी लाइफ	बींग नोलेजबल	ए डिसेंट स्टेन्डडर्स ऑफ लिविंग
(लंबाई)	(लंबा और स्वास्थ्य जीवन)	(जीवनधारी जानकारी)	(उचित और उपयुक्त, गुण का मानक जीवित/जीवनशैली)
इंटिगेटर्स	लाइफ एक्सपेटेन्सी		जीएनआई पर कपीता
		एमवॉयएस एंड ईवायएस	
(लंक्षण/संकेत)	(जीवन संभावना)		(जीएनआई, पर (के अनुसार) कपीता)
डेमिनेशनस			
	लाइफ एक्सपेटेन्सी इंडेक्स	ऐजुकेशन इंडेक्स	जीएनआई इंडेक्स
इन्डेक्स			
	(जीवन संभावना सूची)	(शिक्षा सूची)	(जीएनआई सूची)
(लंबाई सूची)			

द एचडीआई (यह, उपर्युक्त और ज्ञान को दर्शानें के लिए प्रयुक्त एचडीआई)

यह है क्या?

एचडीआई एक समग्र सूचकांक है जो विभिन्न देशों को मानव विकास के चार स्तरों के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है

यह मानव विकास के तीन बुनियादी आयामों पर दीर्घ काल में होने वाली प्रगति का आकलन करने हेतु संक्षिप्त उपाय है। यह तीन आयाम हैं- एक लंबा और स्वस्थ्य जीवन, ज्ञान तक पहुंच और संतोषजनक जीवन स्तर।

भारत की स्थिति?

• भारत का स्थान मध्यम मानव विकास श्रेणी में है। देश पूर्व की भांति मानव विकास सूचकांक में निम्न रैंक पर ही रहा है, लेकिन जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के कारण नवीनतम यूएनडीपी की रिपोर्ट में पांच स्थान के सुधार के साथ 130वें स्थान तक पहुँच गया है।

• 1980 और 2014 के बीच भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.362 से बढ़कर 0.609 तक पहुँच गया है, अर्थात् इसमें 68.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

• हालांकि स्कूलिंग (विद्यालयों) के प्रत्याशित वर्ष 2011 से ही 11.7 पर स्थिर हैं और स्कूलिंग के माध्य वर्ष भी 2010 से 5.4 पर स्थिर हैं।

• **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा:** यह 2013 में 67.6 वर्ष से बढ़कर 2014 में 68 वर्ष हो गयी, जो कि 1980 में 53.9 वर्ष थी।

• **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई):** यह 2014 में 5,497 अमेरिकी डॉलर थी।

• लैंगिक विकास सूचकांक (जीडीआई): महिला मानव विकास सूचकांक मूल्य/पुरुष मानव विकास सूचकांक मूल्य

रिपोर्ट में भारत के जीडीआई के बारे मेंे कहा गया है कि 2014 में भारत में महिला एचडीआई मूल्य केवल 0.525 है जबकि पुरुष एचडीआई मूल्य 0.66 है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2014 का जीडीआई मूल्य 0.795 हैं।